मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

तिलहन संघ भवन, 1, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 3551/**NREGS-MP**/2007 भोपाल, दिनांक 31/10/2007

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला/जिला पंचायत– भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन,
सागर, होशंगाबाद, रतलाम, रायसेन, सीहोर, नरसिंहपुर, विदिशा,
शाजापुर, भिण्ड, मंदसौर, नीमच एवं मुरैना
मध्यप्रदेश।

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण निविदा के लिए मार्गदर्शी बिन्दु विषयक।

———————

सामाजिक अंकेक्षण की निविदा कार्य प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए इस संबंध में कुछ तथ्य पर आपका ध्यान अपेक्षित है। निविदा खोलने की प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई की जाए। निविदा प्रपत्र के बिन्दु क्रमांक 3.1 का अवलोकन करें, तकनीकी बिड में कार्य संपादन हेतु सक्षम पाए जाने पर ही वित्तीय ऑफर निर्धारित तिथि को खोला जाएगा। निविदा बिन्दुओं के क्रमांक 3.1 के अनुसार कार्य सम्पादन हेतु सक्षम पाए जाने पर ही वित्तीय ऑफर खोला जाता है। अतः सम्पादन की क्षमता के आंकलन कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाएं। आउटसोर्स एजेंसी को मुख्यतः निम्नलिखित कार्य संपादित करने है :–

तकनीकी बिड निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर क्षमता का आकलन किया जाए।

- आऊटसोर्स एजेंसी, क्रियान्वयन एजेंसी, ग्राम सभा के सदस्यों एवं लाभार्थियों के बीच में सामाजिक अंकेक्षण के दौरान (ब्रिज) सेतु का कार्य करेंगी।
- सामाजिक अंकेक्षण हेतु अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक से संपर्क कर ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण रोस्टर तैयार कराना होगा।
- सामाजिक अंकेक्षण की दिनांक से पंचायत अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार ग्राम सभा की बैठक दिनांक एवं स्थान व बैठक के एजेण्डा के बारे में प्रचार–प्रसार करना होगा।
- सामाजिक अंकेक्षण के पूर्व ग्राम पंचायत की सतर्कता एवं निगरानी समिति के सदस्यों एवं ग्राम सभा के सदस्यों को सामाजिक अंकेक्षण एवं उनके कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन के संबंध में प्रशिक्षण देना होगा।
- अंकेक्षण दिनांक से कम से कम एक माह पूर्व ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख तैयार कराकर पंचायत कार्यालय में आम जनता को देखने हेतु उपलब्ध कराने होंगे।

एजेण्डा एवं अंकेक्षण से संबंधित आवश्यक जानकारी ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित करनी होंगी।

- ग्राम सभा की बैठक के लिए समुचित व्यवस्था करनी होंगी तथा ऐसा वातावरण निर्मित करना होगा कि सभा में भाग लेने वाले भयमुक्त होकर अपनी बात कह सकें।
- ग्राम सभा में कामों से जुड़े सभी दस्तावेजों के आधार पर एजेण्डावार संक्षेपिका तैयार की जाए। जिसका पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर सामाजिक अंकेक्षण दिनांक से 15 दिवस पूर्व प्रदत्त की जावें तथा संक्षेपिका ग्राम सभा में पढ़कर सुनाई जावें। यदि संक्षेपिका को पढ़कर सुनाने पर कोई मूल अभिलेख देखना चाहें तो दिखाया जावें।
- ग्राम सभा की कार्यवाही पंजी में विधिवत् ग्राम सभा की बैठक का कार्यवाही विवरण लिपिबद्ध की जावें तथा अंत में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर भी कराए जावें।
- ग्राम सभा में किसी प्रकार की आपत्ति ली जाती है तो अनुविभागीय अधिकारी को उसकी सूचना दी जावें।
- ग्राम सभा की बैठक के दौरान सर्तकता एवं निगरानी समिति के प्रतिवेदनों को भी आवश्यक रूप से पढ़ा जों।
- ग्राम सभा में विकास कार्यों से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर भी कार्यवाही कर निराकरण किया जावें।
- ग्राम सभा की कार्यवाही की 2 प्रतियां बनाई जाए। जिला पंचायत को एवं एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जावें।

अतः तकनीकी बिड में संस्था के कार्य सम्पादन की क्षमता का आंकलन उक्त कार्यों के लिए आवश्यक अमले और संसाधन के परिपेक्ष्य में किया जाएं।

1. ग्रामीण विकास विभाग में कार्य का तीन वर्ष का अनुभव का परीक्षण किया जाएं।
2. एक वर्ष में अधिकतम 84 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण कार्य कराना है। इस संबंध में कार्य विवरण के बिन्दु क्रमांक 5 का अवलोकन करें। ''सामाजिक अंकेक्षण शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार पंचायतों के सहयोग से किया जाता है।'' इस तथ्य का सुनिश्चिता की जावें और अनुभव परीक्षण भी इस कार्य में उपयोगिता के आधार पर किया जाएं।
3. एक एजेंसी वर्ष में अधिकतम 84 ग्राम पंचायतों में कार्य करेंगी।
4. प्रशिक्षण कार्य के लिए आवश्यक उपकरण और संसाधनों की जानकारी ली जाएं।
5. प्रचार–प्रसार कार्य के लिए उपलब्ध संसाधनों और कार्य योजना की जानकारी ली जाएं।
6. सामाजिक अंकेक्षण एजेंसी द्वारा अभिलेखन कार्य भी किया जाना है। उसके लिए आवश्यक अमले की जानकारी ली जाएं।

7. ग्राम सभा के आयोजन में ग्रामीणों की भागीदारी प्रभावी हो इस कार्य के लिए आवश्यक संसाधन और कार्य योजना की जानकारी ली जाएं।

8. निर्धारित ग्राम पंचायत के सामाजिक अंकेक्षण कार्य की तैयारियों और संचालन में औसतन 3 तीन दिवस लगने का अनुमान है। अतः उक्तानुसार कार्य करने में संस्था सक्षम है अथवा नहीं। उसके पास कार्य के लिए आवश्यक मानव और मशीन के पर्याप्त संसाधन है अथवा नहीं। इसका भी उसकी कार्य सम्पादन क्षमता में आंकलन किया जाएं।

9. उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर एक श्रेणीकरण तालिका भी बनाई जा सकती है। तालिका का प्रारूप संलग्न हैं

(ए.के. सिंह)
संयुक्त आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पृ.क्र.3552 / **NREGS-MP** / 2007 भोपाल, दिनांक 31 / 10 / 2007

प्रतिलिपि–
कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला– भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, होशंगाबाद, रतलाम, रायसेन, सीहोर, नरसिंहपुर, विदिशा, शाजापुर, भिण्ड, मंदसौर, नीमच एवं मुरैना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(ए.के. सिंह)
संयुक्त आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्